

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13/2022

आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड, कॉरपोरेट एवं रजिस्टर्ड कार्यालय - 201-202, द्वितीय तल, साउथ हेण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर, राजस्थान- 302020, शाखा कार्यालय - प्रथम तल, जय कॉम्प्लेक्स, रिलायन्स पेट्रोल पम्प के सामने, रोड नम्बर 03, झुंझुनू, राजस्थान - 333001

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. नत्थू राम पुत्र श्री नारायण राम, आयु व्यस्क निवासी वार्ड नं0 10, कांकरिया झुंझुनू, जिला झुंझुनू, राजस्थान-303353 दूसरा पता- ग्राम पंचायत कांकरिया, पंचायत कांकरिया, पंचायत समिति खेतडी, पट्टा नम्बर 20, बुक नम्बर 01, जिल्द संख्या 263, पृष्ठ सं0 80 जिला झुंझुनू।
2. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री नत्थूराम, आयु व्यस्क, निवासी मकान नम्बर 91, हरिजन मौहल्ला, कांकरिया तहसील खेतडी, जिला झुंझुनू, राजस्थान ।
3. कानाराम पुत्र श्री नारायण राम, आयु व्यस्क, निवासी वार्ड नं0 10, हरिजन मौहल्ला, कांकरिया, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनू, राजस्थान।
4. सोहनलाल पुत्र श्री नत्थूराम, आयु व्यस्क, निवासी वार्ड नं0 10, कांकरिया, तहसील खेतडी जिला झुंझुनू, राजस्थान।
5. सुनीता देवी पत्नी श्री सोहनलाल, आयु व्यस्क, निवासी वार्ड नं0 10 कांकरिया, तहसील खेतडी जिला झुंझुनू, राजस्थान।
6. विनोद बलाई पुत्र श्री कैलाशचन्द बलाई, आयु व्यस्क, निवासी वार्ड नं0 01 ढाणी नीमावाली, नीम का थाना, चीपलाटा, जिला सीकर, राजस्थान।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 14 वित्तिय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

1. एडवोकेट श्री परिवेश कुमार (आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड) - प्रार्थी बैंक की ओर से
2. अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 6 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं।

आदेश

दिनांक 27.06.2022

प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड एक नियमित निकाय है जिसका कॉरपोरेट एवं रजिस्टर्ड कार्यालय- 201-202, द्वितीय तल, साउथ हेण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर, राजस्थान- 302020 में स्थित है प्रार्थी कम्पनी का एक शाखा कार्यालय -प्रथम तल, जय कॉम्प्लेक्स, रिलायन्स पेट्रोल पम्प के सामने, रोड नम्बर 03, झुंझुनू, राजस्थान - 333001 में भी स्थित है। प्रार्थी कम्पनी जो एक नियमित निकाय है जिसको शाश्वत अधिकार व सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है। प्रार्थी कम्पनी का प्राधिकृत अधिकारी जौली कुमार शुक्ला है। वह रिकॉर्ड के आधार पर



प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यों से भी परिचित है। उन्हें प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय की ओर से साक्ष्य देने व प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर सत्यापन करने का अधिकार है। इन्हें प्रार्थना पत्र के निपटारे तक समस्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण की ऋणदाता/प्रार्थी कम्पनी के हक में मोरगेज की गई सम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार है— सम्पत्ति— अप्रार्थीगण की एक पट्टेशुदा सम्पत्ति सं० 1 — अप्रार्थी नत्थू राम के नाम से एक पट्टा ग्राम पंचायत कांकरिया, पंचायत समिति खेतडी, पट्टा नम्बर 20, बुक नम्बर 01, जिल्द संख्या 263, पृष्ठ सं० 80, जिला झुंझुनूं राजस्थान एवं सम्पत्ति सं० 2— दूसरा पट्टा ग्राम पंचायत कांकरिया, पंचायत समिति खेतडी, पट्टा नम्बर 21, बुक नम्बर 01, जिल्द संख्या 263, पृष्ठ संख्या 81 जिला झुंझुनूं राजस्थान में स्थित है।

सम्पत्ति सं० 1 — उक्त पट्टा नम्बर 20 की पट्टेशुदा सम्पत्ति की चतुर्सीमा इस प्रकार है—

उत्तर में	—	आम रास्ता
दक्षिण में	—	खुली भूमि
पूर्व में	—	मदल लाल का मकान।
पश्चिम में	—	जीवन राम
कुल क्षेत्रफल	—	72.88 वर्गगज।

सम्पत्ति सं० 2 — उक्त पट्टा नम्बर 21 की पट्टेशुदा सम्पत्ति की चतुर्सीमा इस प्रकार है—

उत्तर में	—	आम रास्ता
दक्षिण में	—	खुली भूमि
पूर्व में	—	मदल लाल का मकान।
पश्चिम में	—	जीवन राम
कुल क्षेत्रफल	—	72.88 वर्गगज।

अप्रार्थी सं० 1 ने बतौर ऋणी एवं अप्रार्थी सं० 2 ने बतौर सहऋणी ने धारा 2 में वर्णित उक्त सम्पत्ति पर प्रार्थी कम्पनी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड से दिनांक 31.08.2018 को एक ऋण अनुबंध सं. LNHNT00518-190084227 निस्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से 3,00,000/— का ऋण प्रार्थी कम्पनी की तयशुदा शर्तों पर लिया था। जिसके अनुसार उक्त ऋण का भुगतान अप्रार्थीगण मासिक किस्तों में प्रार्थी कम्पनी को करेंगे। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण अनुबंध के अन्तर्गत लिये गये ऋण व उसके ब्याज के पूर्ण भुगतान सिक्क्योरिटी के रूप में धारा 2 में वर्णित पट्टेशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी कम्पनी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड के पक्ष में बंधक किया। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी कम्पनी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड द्वारा अप्रार्थीगण का खाता एन०पी०ए० घोषित कर दिया। अप्रार्थीगण के खाते में मय ब्याज दिनांक 16.07.2021 तक रूपये 3,36,473/—रु देय निकलते हैं और दिनांक 16.07.2021 के बाद ब्याज व पेनल्टी की राशि का भुगतान भी इस राशि का पूर्ण भुगतान करने के साथ करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी कम्पनी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड ने उक्त एक्ट की अधारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 17.7.2021 को अप्रार्थीगण को एक नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये और जिसकी प्राप्ति के बाद भी देय राशि का भुगतान अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी कम्पनी को नहीं दिया गया। अप्रार्थीगण ने धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो जाने व नोटिस में वर्णित अवधि में देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी कम्पनी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड को नहीं किया है। वित्तिय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा के प्रावधान 14 के अनुसार प्रार्थी कम्पनी धारा सं० 2 में वर्णित प्रत्याभूत सम्पत्ति का श्रीमान के द्वारा कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आदेश इस आशय के फरमाये जावे कि प्रार्थना पत्र की मद सं० 2 में वर्णित प्रत्याभूत सम्पत्ति का कब्जा क्षेत्र से प्रार्थी को स्वयं एजेन्ट या नियुक्त व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करे। यह भी आदेशित किया जावे कि आवश्यकता होने पर उस क्षेत्र से सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक स्वयं या अपने मातहत के


जिला कलेक्टर झुंझुनूं

अध्यम से प्रार्थना पत्र की मद सं० 2 में वर्णित प्रत्याभूत सम्पत्ति का कब्जा पुलिस बल द्वारा अप्रार्थीगण से प्राप्त करे तथा कब्जा प्राप्त करने के बाद प्रत्याभूत सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने का आदेश पारित फरमावे।


बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन०पी०ए० घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थी सं० 1 लगायत 6 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं। अप्रार्थी सं० 1 लगायत 6 के विरुद्ध एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोसमेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति अप्रार्थी सं० 1 नाथुराम के मालिकाना हक की पट्टा ग्राम पंचायत कांकरिया, पंचायत समिति खेतडी, पट्टा नम्बर 20, बुक नम्बर 01, जिल्द संख्या 263, पृष्ठ सं० 80, जिला झुंझुनू, राजस्थान कुल क्षेत्रफल 72.88 वर्गगज एवं अप्रार्थी सं० 3 कानाराम के मालिकाना हक की पट्टा ग्राम पंचायत कांकरिया, पंचायत समिति खेतडी, पट्टा नम्बर 21, बुक नम्बर 01, जिल्द संख्या 263, पृष्ठ संख्या 81 जिला झुंझुनू राजस्थान कुल क्षेत्रफल 72.88 वर्गगज में स्थित भूमि व निर्मित सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 27.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल०एस०कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू